was received regarding delay in promotion.

(b) No, Sir. DRM/Jhansi had written to Headquarters Office for restoration of seniority of one Shri B.R. Kapoor only.

(c) and (e) Shri Kapoor has been assigned seniority and given the settlement dues on the basis of his adhoc promotion to grade Rs. 2375-3500 which has since been regularised. Necessary action is also being taken to give him proforma fixation from the date on which his junior was promoted and his pension and retiral dues will be revised accordingly.

Waiting List of Telephone Connections in Maharashtra

1060. SHRI GOVINDRAO ADIK: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state: (a) the number of persons who are in the waiting list for telephone connections in major cities of Maharashtra as on March 31, 1995;

(b) the date upto which the telephone connections have been cleared;

(c) the target date by when the remaining applications will be cleared for providing telephone connections; and

(d) the details of measures Government propose to adopt for clearing of the backlog?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) and (b) Number of persons in the waiting list for telephone connections in major cities of Maharashtra as on March 31, 1995 and the date upto which telephone connections have been cleared are given in the Statement (See below).

(c) and (d) During 1995-96 it is proposed to provide 437900 new telephone connections in Maharashtra including MTNL Bombay. National Telecom Policy 1994, however, envisages provision of telephone connections on demand by 1997 all over the country including Maharashtra and MTNL Bombay.

Statement

Waiting List as on 31.3.1995 for Telephone Connections in Major Cities of Maharashtra and Date of Clearance

S. No.	Name of Cities	Waiting List as on 31.3.1995	Date of Clearance
1.	Jalgaon	4004	2.6.87
2.	Raigad	3035	30.3.95
3.	Sangli	7364	7.1.89
4.	Satara	4721	3.12.94
5.	Solapur	9332	31.12.93
6.	Nasik	15592	24.1.85
7.	Ahmednagar	5472	7.8.87
8.	Aurangabad	7868	17.4.90
9.	Nanded	1251	31.12.92
10.	Kolhapur	21381	30.8.94
11.	Nagpur	20751	2.6.88
12.	Pune	37490	5.2.91
13.	Kalyan	34833	31.3.91
14.	Bombay	50039	30.6.92

पर्यावरण और वनों के विकास हेतु कार्यक्रम की रूपरेखा बनाना

1061. **श्री शंकर दयाल सिंह:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यावरण और वन विकास हेतु विभिन्न राज्यों के लिए केन्द्र द्वारा कोई विशेष कार्यक्रम निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और किन-किन राज्यों ने उसके तहत कार्य किए हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार की ओर से इसके लिए राज्यों को कोई विशेष आवंटन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय पर्यावरण और वनों के विकास के लिए अनेक केन्द्रीय प्रायोजित

स्कीमें कार्यान्वित करता है। गत दो वर्षों के दौरान इस प्रकार कवर किए गए राज्यों और प्रदान की गई वित्तीय सहायता सहित स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(रु० लाख में)

क्र० सं०	स्कीम का नाम	मुख्य उद्देश्य	निधिकरण की मात्रा	स्थिति	शामिल राज्य	गत दो वर्षों 1993-94 एवं 1994-95 के दौरान प्रदान की गई वित्तीय सहायता
1	2	3	4	5	6	7
1.	पर्यावरण वाहिनी स्कीम	जनता की सक्रिय भागीदारी से पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करना	100%	जारी	आंध्र प्रदेश	1.36
					अरूणाचल प्रदेश	0.34
					असम	0.68
					बिहार	0.34
					गोआ	0.88
					गुजरात	1.02
					हरियाणा	0.68
					हिमाचल प्रदेश	1.36
					कर्नाटक	2.04
					केरल	1.70
					मध्य प्रदेश	1.70
					महाराष्ट्र	1.70
					मणिपुर	0.34
					मेघालय	0.34
					मिजोरम	0.68
					उड़ीसा	1.02
					पंजाब	1.62
					राजस्थान	3.20
					तमिलनाडु	1.26
					उत्तर प्रदेश	4.90
2.	सुरक्षित क्षेत्रों के आसपास पारि-विकास	राष्ट्रीय उद्यानों के हिस्सों में रहने वाले समुदायों को वैकल्पिक जीविका प्रदान करना	100% अनावर्ती 50% आवर्ती	जारी	आंध्र प्रदेश	8.91
					अरूणाचल प्रदेश	9.73
					असम	6.05
					गुजरात	14.08
					हरियाणा	3.60
					हिमाचल प्रदेश	48.00
					जम्मू व कश्मीर	13.05

1	2	3	4	5	6	7
					कर्नाटक	44.26
					केरल	68.63
					मध्य प्रदेश	38.47
					मेघालय	6.54
					मिजोरम	2.33
					नागालैण्ड	2.75
					उड़ीसा	30.50
					पंजाब	7.87
					राजस्थान	19.33
					सिक्किम	24.25
					तमिलनाडु	8.62
					उत्तर प्रदेश	11.90
					पश्चिम बंगाल	26.03
3.	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास	100%	जारी	आंध्र प्रदेश	124.33
					अरूणाचल प्रदेश	62.31
					असम	103.97
					बिहार	57.85
					गोआ	28.79
					गुजरात	67.76
					हरियाणा	25.63
					हिमाचल प्रदेश	168.96
					जम्मू एवं कश्मीर	18.27
					कर्नाटक	247.40
					केरल	113.35
					मध्य प्रदेश	230.43
					महाराष्ट्र	179.22
					मणिपुर	34.45
					मेघालय	38.84
					मिजोरम	40.89
					नागालैण्ड	2.62
					उड़ीसा	144.29
					पंजाब	34.10
					राजस्थान	143.76
					सिक्किम	63.32
					तमिलनाडु	70.76
					त्रिपुरा	13.09
					उत्तर प्रदेश	150.65
					पश्चिम बंगाल	104.50

1	2	3	4	5	6	7
4.	बाघ परियोजना	बाघों की सक्षम आबादी सुनिश्चित करना	100% अनावर्ती 50% आवर्ती	जारी	आंध्र प्रदेश	52.08
					असम	78.70
					अरूणाचल प्रदेश	65.54
					बिहार	105.70
					कर्नाटक	82.95
					केरल	63.40
					पध्य प्रदेश	276.69
					महाराष्ट्र	99.82
					उड़ीसा	115.91
					राजस्थान	197.32
					तमिलनाडु	69.99
					उत्तर प्रदेश	182.77
					पश्चिम बंगाल	171.85
5.	जीवमंडल रिजर्व स्कीम	संबंधित पारि-प्रणाली की आनुवांशिक विविधता के संरक्षण के लिए जीव मंडल रिजर्वों की स्थापना	100%	जारी	कर्नाटक	93.74
					तमिलनाडु	98.43
					केरल	74.92
					उत्तर प्रदेश	69.16
					पश्चिम बंगाल	99.00
					मेघालय	18.77
6.	बाघ रिजर्वों के चारों ओर पारि-विकास	बाघ रिजर्वों के हिस्सों में रहने वाले समुदायों की वैकल्पिक जीविका मुहैया कराना	100% अनावर्ती 50% आवर्ती	जारी	आंध्र प्रदेश	29.65
					असम	5.20
					अरूणाचल प्रदेश	4.95
					बिहार	40.95
					कर्नाटक	34.59
					केरल	17.14
					मध्य प्रदेश	67.91
					महाराष्ट्र	19.15
					उड़ीसा	33.10
					राजस्थान	63.61
					तमिलनाडु	4.76
					उत्तर प्रदेश	31.02
					पश्चिम बंगाल	84.65
7.	आधुनिक दावानल नियंत्रण पद्धतियां	वनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए दावानल नियंत्रण	100%	जारी	आंध्र प्रदेश	11.62
					गुजरात	11.40
					हिमाचल प्रदेश	31.72
					कर्नाटक	23.46
					केरल	41.56
					मध्य प्रदेश	82.74
					महाराष्ट्र	13.10
					उड़ीसा	10.73
					तमिलनाडु	12.72

1	2	3	4	5	6	7
8.	आदिवासी विकास लाभ-भोगी अन्मुख स्कीम	बाघ परियोजना, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की रिलोकेशन योजनाओं के अंतर्गत प्रभावित आदिवासी और अन्य परिवारों का पुनर्वास	100%	जारी	कर्नाटक मिजोरम मध्य प्रदेश नागालैण्ड पश्चिम बंगाल	8.80 39.16 7.50 15.30 23.00
9.	बीज विकास स्कीम	क्वालिटी बीजों के लिए आधारभूत ढांचा विकसित करना	100%	जारी	अरुणाचल प्रदेश असम गुजरात हरियाणा हिमाचल प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर केरल मध्य प्रदेश मणिपुर मिजोरम पंजाब सिक्किम तमिलनाडु उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल	36.56 10.07 28.08 57.04 11.79 65.88 19.47 14.62 17.95 15.00 17.65 12.81 8.00 16.50 12.28
10.	औषधीय पौधों सहित लघु वनोपज	औषधीय पौधों सहित लघु वनोपज उगाना	100%	जारी	आंध्र प्रदेश अरूणाचल प्रदेश असम बिहार गोआ गुजरात हरियाणा हिमाचल प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर कर्नाटक मध्य प्रदेश महाराष्ट्र मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैण्ड	91.90 45.00 18.20 145.00 14.50 369.00 181.00 242.96 117.65 49.43 107.99 56.59 29.25 221.37 69.29 17.85

1	2	3	4	5	6	7
					उड़ीसा	382.21
					पंजाब	115.00
					राजस्थान	53.00
					सिक्किम	135.50
					तमिलनाडु	53.30
					त्रिपुरा	27.02
					उत्तर प्रदेश	9.00
					पश्चिम बंगाल	98.55
11.	नमभूमियों का संरक्षण	नम भूमि की सुरक्षा और पुनरूद्धार	100%	जारी	पंजाब	11.79
					मध्य प्रदेश	92.73
					चंडीगढ़	3.50
					हिमाचल प्रदेश	7.00
					गुजरात	3.00
					मणिपुर	41.00
12.	कच्छ वनस्पति का संरक्षण	कच्छ वनस्पतियों की सुरक्षा और पुनरूद्धार	100%	जारी	पश्चिम बंगाल	41.94
					गोआ	10.35
					तमिलनाडु	5.90
					कर्नाटक	17.58
					महाराष्ट्र	1.59
13.	गंगा कार्य योजना	गंगा नदी का प्रदूषण उपशमन	100% चरण-I 50% चरण-II	जारी	उत्तर प्रदेश	3571.30
					बिहार	702.00
					पश्चिम बंगाल	3029.53
14.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण स्कीम	अत्यधिक प्रदूषित नदियों का प्रदूषण उपशमन	50%	जारी	पंजाब	300.00
					आंध प्रदेश	150.00*
					महाराष्ट्र	150.00
					तमिलनाडु	150.00*
					कर्नाटक	150.00
					मध्य प्रदेश	150.00*
					गुजरात	150.00
*राशि 1995-96 के लिए आबंटित						
15.	हाथी परियोजना	हाथियों की सक्षम आबादी सुनिश्चित करना	100% अनावर्ती 50% आवर्ती	जारी	आंध प्रदेश	68.77
					अरूणाचल प्रदेश	30.29
					असम	54.15
					कर्नाटक	142.45
					केरल	72.33
					मेघालय	313.10
					उड़ीसा	84.70
					तमिलनाडु	43.92
					उत्तर प्रदेश	79.08

1	2	3	4	5	6	7
					पश्चिम बंगाल	89.84
					मध्य प्रदेश	52.07
					नागालैण्ड	7.10
16.	समेकित वनीकरण और पारि-विकास परियोजना	वनीकरण और पारि-विकास को बढ़ावा देना	100%	जारी	आंध्र प्रदेश	563.87
					अरूणाचल प्रदेश	152.05
					असम	28.00
					बिहार	80.00
					गोआ	16.67
					गुजरात	236.09
					हरियाणा	163.40
					हिमाचल प्रदेश	518.93
					जम्मू व कश्मीर	483.55
					कर्नाटक	552.89
					केरल	115.00
					महाराष्ट्र	30.00
					मध्य प्रदेश	1254.43
					मणिपुर	238.90
					मेघालय	392.02
					मिजोरम	279.28
					नागालैण्ड	97.20
					उड़ीसा	156.00
					पंजाब	175.40
					राजस्थान	1461.10
					सिक्किम	573.70
					तमिलनाडु	76.02
					त्रिपुरा	99.69
					उत्तर प्रदेश	788.90
					पश्चिम बंगाल	721.77
17.	हवाई बीजीकरण	हवाई बीजीकरण के जरिए कठिन और अगम्य क्षेत्रों में पुनर्जनन को बढ़ावा देना	100%	जारी	आंध्र प्रदेश	13.00
					तमिलनाडु	37.00
18.	क्षेत्रोन्मुख जलाऊ लकड़ी और चारा स्कीम	अभिनिर्धारित ईंधन की कमी वाले जिलों में जलाऊ की लकड़ी और चारे की आपूर्ति बढ़ाना	50%	जारी	आंध्र प्रदेश	79.50
					अरुणाचल प्रदेश	16.33
					असम	213.85
					बिहार	454.32
					गोआ	16.41
					गुजरात	192.04
					हरियाणा	647.97

1	2	3	4	5	6	7
					हिमाचल प्रदेश	240.79
					जम्मू व कश्मीर	15.00
					कर्नाटक	339.86
					केरल	100.00
					मध्य प्रदेश	426.30
					महाराष्ट्र	69.38
					मणिपुर	242.16
					मेघालय	139.24
					मिजोरम	649.80
					नागालैण्ड	15.15
					उड़ीसा	392.00
					पंजाब	311.30
					राजस्थान	430.90
					सिक्किम	136.00
					तमिलनाडु	152.72
					त्रिपुरा	57.44
					उत्तर प्रदेश	473.39
					पश्चिम बंगाल	247.55
19.	विश्व बैंक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना	औद्योगिक गतिविधियों के कारण हुए पर्यावरणीय अवक्रमण को रोकना			इस परियोजना में 155.6 मिलियन अमरीकी डालर तथा भारत सरकार, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थाओं तथा ऋण प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रदान की जाने वाली 108 मिलियन अमरीकी डालर की काउन्टरपार्ट निधियां शामिल हैं। इस परियोजना के अंतर्गत 4 औद्योगिकीकृत राज्य अर्थात गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। प्रत्येक राज्य के लिए कोई विशिष्ट आबंटन नहीं है।	

Banning Indian Ships to Enter into Colombo Port

1062. SHRI S. MADHAVAN: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Shri Lankan Government had imposed ban on the Tuticorin sailing vessels entering the Colombo Port;

(b) if so, the reasons therefor and what steps Government have taken to lift the ban by Sri Lankan Government;

(c) whether Government are aware that the sailing vessel crewmen in the Tuticorin port are agitating over this; and

(d) whether any delegation visited Sri Lanka to solve this issue and if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R.L. BHATIA): (a) Yes, Sir. The Sri Lankan Government imposed a ban on the entry of sailing vessels, with wooden hulls and of a gross tonnage lower than 1600 tonnes, into Colombo Port from 26th April, 1995. These restrictions affected the sailing vessel trade from Tuticorin to Colombo.

(b) The Sri Lanka Government has cited security reasons for imposing the ban.